

प्रेषक,

सचिव,  
प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उपरोक्त प्रदेश सरकार।

सेवा में,

सचिव,  
संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद,  
उपरोक्त प्रदेश सरकार।

पत्रांक-प्राथिप/परिषद/2020/6129

प्रत्येकदिनांक- 30/12/2020

**विषय-** नवस्थापित डिप्लोमा इन कार्बोसी संस्थाओं को प्रवेश प्रक्रिया में शामिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अग्रगत करण है कि अप्रतिष्ठित कार्बोसी नवस्थापित डिप्लोमा इन कार्बोसी सम्बन्धित करने वाली विन संस्थाओं को परिषद से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

क्र	संस्था कोड एवं संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्रमांक	ईमेल/एच एसएस प्रवेश क्रमांक	ईमेल आईडी एवं मोबाइल नं
1	2157 एलएनईएलएल कॉलेज ऑफ कार्बोसी, जयपुर भुवनेश्वर सम्बन्धित (नया)	डिप्लोमा इन कार्बोसी	60	66	shscollegepharmacy@gmail.com 9161702006
2	4183 डिवायल्टी हेल्थ वैजिज ऑफ कार्बोसी एनएनएनएन डेविस	डिप्लोमा इन कार्बोसी	60	66	vidyawati.devicillego@pharmacy@gmail.com 961541418
3	4184 अदिति डिप्लोमा ऑफ कार्बोसी एनएनएनएन	डिप्लोमा इन कार्बोसी	60	66	devyagn02@gmail.com 9432246074 9537668157

उपरोक्त प्रकरण दिनांक 20-12-2020 को उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में समिति के विचारों प्रस्तुत किया गया, जिसमें सम्बद्धता समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त संस्थाओं को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सम्बद्धता समिति द्वारा लिखे गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में आपसे अनुरोध है कि प्रथमतः संस्थाओं को सत्र 2020-21 हेतु आयोजित प्रवेश प्रक्रिया में शामिलित करने की कृपा करें।

भवदीया,

(सचिव सौमकर)  
संयुक्त सचिव

तददिनांक- 30/12/2020

पुनरांक- प्राथिप/परिषद/2020/6030-35

**प्रांतांशव-** निम्नालिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, अग्रतः प्राथमिक शिक्षा परिषद, उपाध्यक्ष महोदय को सूचना एवं सूचनाएं।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, प्राथमिक शिक्षा, उपाध्यक्ष महोदय को विशेष सचिव महोदय के सूचनाएं।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उपाध्यक्ष महोदय।
4. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण सहायक, उपाध्यक्ष महोदय।
5. संयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/मध्य क्षेत्र।
6. प्रधानाचार्य/निदेशक, उपरोक्त संस्थाएं।

सचिव  
30/12/2020

(सचिव सौमकर)  
संयुक्त सचिव

कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/6311

लखनऊ दिनांक: 11-01-2021

:-कार्यालय झाप:-

मा० उच्च न्यायालय में योजित याचिका एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु नवआवेदित डिप्लोमा फार्मसी संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 28-12-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित याचिका एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को दिये अनुमोदन के अनुक्रम में विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श किया गया कि संस्था के अर्जिट के दृष्टिगत संस्था को सत्र 2020-21 से परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 28-12-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम के उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2157	एस०बी०एस० कॉलेज ऑफ फार्मसी, जलालपुर, मुजगी, अम्बेडकर नगर।	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावों होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

*CMU*

- Regulations, 2014.
- Education Regulations, 1991 / 2020 for the Diploma course in Pharmacy.
- Salary of teaching faculty is not as per regulation.


It was further decided to instruct the institution to submit the compliance with documentary evidences (form 16) of each faculty, appointment of qualified principal, appointment of required number of qualified faculty as per statutory provisions.

371 EC/373  
UP-739/ 2022-2023  
S.B.S. College Of Pharmacy  
Newada Road, Bhujgi,  
AMBEDKAR NAGAR, 224149

PCI - 3374

B.Pharm  
D.Pharm

**D.Pharm**  
The Secretary  
Uttar Pradesh Board of  
Technical Education Guru  
Govind Singh Marg Lucknow  
Uttar Pradesh

  
17.09.2022  
PRINCIPAL  
S.B.S. College Of Pharmacy  
Bhujgi-Ambedkar Nagar, U.P.

**D.Pharm**  
Grant approval from 2020-2021 to 2022-2023 academic session for 60 admissions u/s 12 of the Pharmacy Act.

**B.Pharm**

It was noted that institution has failed to submit consent of affiliation of Examining Authority and NOC of State Government for B.Pharm course.

In view of above it was decided to reject the application for B.Pharm course.

371 EC/374  
UP-740/ 2022-2023  
School Of Pharmaceutical  
Sciences  
IIMT University Campus,  
Mawana Road, O Pocket Ganga  
Nagar, MEERUT, 250001

PCI - 3273

D.Pharm

**D.Pharm**  
The Registrar IIMT College of  
Medical Sciences IIMT  
University Pocket O Ganga  
Nagar Mawana Road Meerut

**D.Pharm**  
Extend approval upto 2022-2023 academic session for D.Pharm course.

Reduce intake from 60 to 40 from 2022-2023 academic session for D.Pharm course as the institution has failed to appoint qualified faculty, disburse salary of teaching faculty and comply with the prescribed statutory provisions of -

- Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014.
- Education Regulations, 1991 / 2020 for the Diploma course in Pharmacy.